



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 01.11.2022

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 शातिर अन्तर्जनपदीय चोर गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवेलों से चोरी किया हुआ तांबे का तार व अवैध छुरे एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद:-

दिनांक 01.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी का अनावरण एवं चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर ट्यूबवेल चोरी की घटनाओं में शामिल 02 शातिर अन्तर्जनपदीय चोरों को ट्यूबवेलों से चोरी किया हुआ तांबे का तार व अवैध 02 छुरे एवं घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.07.2022 को श्री सतपाल पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली जनपद शामली, दिनांक 13/14.09.2022 को श्री सुरेन्द्र पुत्र इकबाल निवासी उपरोक्त, दिनांक 28/29.07.2022 को श्री प्रमोद पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम लिसाढ थाना कोतवाली जनपद शामली दिनांक 18/19.09.2022 को श्री अरविन्द पुत्र महेन्द्र निवासी उपरोक्त, दिनांक 26.09.2022 को श्री विजेन्द्र पुत्र हरीकिशन निवासी उपरोक्त के ट्यूबवेलों से अज्ञात चोरों द्वारा ट्यूबवेलों का सामान चोरी कर लेने के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दी गई। दाखिला तहरीरों के आधार पर मु0अ0स0 313/22 धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0 344 /2022 धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0 457/22 धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0 465/22 धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0 481/22 धारा 379 भादवि में थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. विनीत पुत्र सतपाल निवासी ग्राम कल्लरहेडी थाना गंगौह जिला सहारनपुर।
2. परदेशी पुत्र प्रवीन उर्फ परविन्द निवासी ग्राम कल्लरहेडी थाना गंगौह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. ट्यूबवेलों से चोरी किया हुआ तांबे का तार 15 किग्रा।
2. अवैध 02 छुरा।
3. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर नं0-यू0पी0 11सीएच-0649।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विनीत उपरोक्त:-

1. मु0अ0स0 567/2022 धारा 398/401 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0स0 568/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त परदेशी उपरोक्त:-

1. मु0अ0स0-60/2013 धारा 323/324/504/506/452 भादवि थाना गंगौह जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 41/2017 धारा 457/380 भादवि थाना गंगौह जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 23/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गंगौह जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 567/2022 धारा 398/401 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. मु0अ0स0 569/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 सचिन पूनियां चौकी प्रभारी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

2. है0का0 मुकेश कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3. का0 अशुल पुनियां चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली ।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में 02 मादक पदार्थ तस्करी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध स्मैक व स्मैक बिक्री से प्राप्त 102830/- रुपये एवं चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद:-

आज दिनांक 01.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में चेकिंग के दौरान सूचना पर 02 मादक पदार्थ तस्करी को अवैध 30 ग्राम स्मैक व स्मैक बिक्री से प्राप्त 102830/- रुपये एवं चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि उक्त मोटरसाइकिल करनाल हरियाणा से चोरी की थी। जिसके संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. फरमान पुत्र मतलूब निवासी ग्राम इब्राहिम चिलकाना रोड थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. शमशाद पुत्र मेहन्दी हसन निवासी आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 30 ग्राम स्मैक।
2. अवैध स्मैक बिक्री से प्राप्त 102830/- रुपये।
3. चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर रंग काला नीला (नम्बर खुर्द बुर्द)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फरमान उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 464/17 धारा 323/354क/504/506 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 607/2022 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 608/2022 धारा 414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शमशाद उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 607/2022 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 608/2022 धारा 414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री बन्टी सिंह थाना कैराना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कसाना प्रभारी एसओजी शामली।
3. है0का0 राशिद अली थाना कैराना जनपद शामली।
4. है0का0 सुरेश कुमार एसओजी0 टीम जनपद शामली।
5. का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
6. का0 कुँवरपाल थाना कैराना जनपद शामली।
7. का0 राममूर्ति तेजा एसओजी0 टीम जनपद शामली।
8. का0 ललित कुमार एसओजी0 टीम जनपद शामली।

